

मसिाइल की मसिफायरगि

यह एडिटरियल 16/03/2022 को 'द हट्रि' में प्रकाशित "A Misfiring and Its Trail of Poor Strategic Stability" लेख पर आधारित है। इसमें हाल में 'मसिाइल मसिफायरगि' की घटना से उजागर हुए परमुख मुद्दे के संबंध में चर्चा की गई है।

संदर्भ

हाल ही में एक भारतीय मसिाइल के दुर्घटनावश पाकसितानी क्षेत्त्र में प्रवेश कर जाने से दो परमाणु-सशस्त्र देशों के मध्य गंभीर तनाव में अनपेक्षित वृद्धि हो सकती थी। यह घटना दोनों देशों द्वारा परमाणु हथियारों की रखे जाने के खतरों के बारे में गंभीर आत्मनरीक्षण करने की आवश्यकता को मांग रखती है। इस घटना ने भारत में उच्च-प्रौद्योगिकी हथियार प्रणालियों के भंडारण, रखरखाव, संचालन और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग के मानकों के संबंध पर एक संदेह उत्पन्न किया है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय यह है कि इस घटना ने दो परमाणु-संपन्न शत्रु देशों के बीच संकट प्रबंधन के लिये द्विपक्षीय तंत्र की दयनीय स्थिति को उजागर किया है जहाँ मसिाइल उड़ान का समय मुश्किल से कुछ ही मिनटों का होता है।

घटनाक्रम और प्रतिक्रिया

- भारत सरकार ने एक वक्तव्य में स्वीकार किया कि 'तकनीकी खराबी के कारण मसिाइल की दुर्घटनावश फायरगि हुई' जो पाकसितानी क्षेत्त्र में 124 किलोमीटर अंदर जाकर क्रैश हुई। यह घटना रूटिन मॉटेनेंस के दौरान हुई।
 - अनुमान लगाया गया है कि यह भारत की शीर्ष मसिाइलों में से एक 'ब्रह्मोस' (BrahMos) का परीक्षण था जैसा भारत ने रूस के साथ संयुक्त रूप से वकिसति किया है।
 - इस संबंध में भारत ने एक उच्चस्तरीय कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी (High-Level Court of Inquiry) के आदेश दिये हैं।
- पाकसितान ने आरोप लगाया है कि यह घटना 'रणनीतिक हथियारों के भारतीय संचालन में गंभीर प्रकृति दोषों और तकनीकी खामियों को इंगति करती है।'
 - इस्लामाबाद में भारतीय उप-उच्चायुक्त (Chargé D'Affaires) को पाकसितान ने अपनी चिंताओं से अवगत कराने के लिये दो बार तलब किया।
 - इस संदर्भ में पाकसितान ने भारत द्वारा जाँच के आदेश को अपर्याप्त बताया और संयुक्त जाँच की मांग की।
 - पाकसितान द्वारा 'क्षेत्त्र में रणनीतिक स्थिरता' को बढ़ावा देने के लिये अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी की भी मांग की है।
- मसिाइल मसिफायरगि की इस घटना पर भारतीय और पाकसितानी प्रतिक्रियाएँ मौजूदा परिदृश्यों में सर्वोत्तम संभव प्रतिक्रियाएँ थीं क्योंकि संकट प्रबंधन हेतु दोनों देशों के बीच अत्यंत कमज़ोर द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।

क्षेत्त्र की रणनीतिक अस्थिरता के कारण

दक्षिण एशिया (वर्षेय रूप से भारत-पाकसितान भूभाग) में रणनीतिक स्थिरता व्यवस्था ऐसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिये या प्रभावी संकट प्रबंधन एवं प्रतिरोध स्थिरता के लिये अधिक संकषम नहीं है। इसके प्रमुख कारण हैं:

- **समझौते में करूज मसिाइलों को शामिल न करना:** हालाँकि भारत और पाकसितान ने अक्टूबर 2005 में 'बैलिस्टिक मसिाइलों के उड़ान परीक्षण की पूर्व अधिसूचना' (Pre-Notification of Flight Testing of Ballistic Missiles) समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, लेकिन इसमें करूज मसिाइल शामिल नहीं हैं।
 - उल्लेखनीय है कि ताज़ा घटनाक्रम में ब्रह्मोस के शामिल होने का संदेह है जो एक करूज मसिाइल है।
- **संरचित द्विपक्षीय वार्ता का अभाव:** कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेज़र्स (Confidence Building Measures- CBMs) और पारंपरिक CBMs पर एक अरसे से दोनों पक्षों के मध्य संयुक्त बैठकों का आयोजन नहीं हुआ है।
 - भारत और पाकसितान ने कई वर्षों से 'परमाणु कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेज़र्स पर विशेषज्ञ स्तर की वार्ता' या 'पारंपरिक विश्वास निर्माण उपायों पर विशेषज्ञ स्तर की वार्ता' भी आयोजित नहीं की है।
 - इसके अलावा दोनों देशों में एक दूसरे के उच्चायुक्त नियुक्त नहीं हैं तथा दोनों देशों के मध्य कोई संरचित द्विपक्षीय वार्ता भी नहीं है।
- **चीन का हस्तक्षेप:** क्षेत्रीय रणनीतिक स्थिरता व्यवस्था को और अधिक अस्थिर बनाने वाला तथ्य यह है कि इस क्षेत्र में परमाणु हथियारों वाले

तीसरे देश चीन ने अब तक भारत के साथ किसी भी रणनीतिक स्थिरता चर्चा में शामिल होने से इनकार ही किया है।

- चीन को भारत के साथ सैन्य गतरौध में शामिल होने के अलावा भारत-पाकस्तान संघर्ष में संलग्न होने से भी कोई परहेज नहीं किया है।
- मसिाइलों की दुर्घटनावश फायरिंग की संभावना के साथ ये सभी तथ्य रणनीतिक स्थिरता की दृष्टि से क्षेत्र को विशेष रूप से संवेदनशील बनाते हैं।

'बैलसिटिक मसिाइल उडान परीक्षण पूर्व-अधिसूचना समझौता, 2005'

- इस समझौते के तहत दोनों देशों को एक दूसरे को किसी भी स्थल या समुद्र से लॉन्च की गई सतह से सतह पर मार करने वाली बैलसिटिक मसिाइलों के उडान परीक्षण पर अग्रिम सूचना देनी होगी।
 - परीक्षण से पहले उस देश को क्रमशः वमिनन पायलटों और नाविकों को सचेत करने के लिये 'नोटिस टू एयर मशिन' (Notice to Air Missions- NOTAM) या 'नेवगेशनल वार्नगिंग' (Navigational Warning- NAVAREA) जारी करना अनिवार्य है।
- इसके साथ ही परीक्षण करने वाले देश को यह सुनिश्चित करना होगा कि नयोजति प्रकषेपवक्त्र (Planned Trajectory) का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) या नयित्रण रेखा (LOC) से क्रमशः 40 किलोमी. और 75 किलोमी. के अंदर न हो है।
 - नयोजति प्रकषेपवक्त्र IB या LOC को पार नहीं करे और सीमा से कम से कम 40 किलोमी. की कषैतजि दूरी बनाए रखे।
- परीक्षण करने वाले देश को दूसरे देश को "पाँच दिन की लॉन्च वडि के शुरू होने से कम से कम तीन दिन पहले सूचित करना होगा जिसके भीतर वह किसी भी स्थल या समुद्र से लॉन्च की जाने वाली सतह से सतह पर मार करने वाली बैलसिटिक मसिाइल के उडान परीक्षण करने का इरादा रखता है।"
- पूर्व-अधिसूचना को "संबंधित विदेशी कार्यालयों और उच्चायोगों के माध्यम से अवगत कराया जाना चाहिये।"

आगे की राह

- **द्वपिकषीय वार्ता तंत्र का पुनरुद्धार:** भारत-पाकस्तान संबंधों की प्रतिकूल, परमाणु-सशस्त्र, संकटपूर्ण स्थिति और विश्वास की कमी को देखते हुए विशेष रूप से हाल की घटना के परिप्रेक्ष्य में दोनों देशों को परमाणु और पारंपरिक विश्वास निर्माण उपायों पर विशेषज्ञ स्तर की वार्ताओं को पुनर्जीवित करने की तत्काल आवश्यकता है।
- **मौजूदा तंत्रों और समझौतों को अद्यतन करना:** भारत और पाकस्तान को संकट की अवधि और शांतकाल के दौरान संवेदनशील सूचनाओं को संप्रेषित करने हेतु तत्काल एक द्रुत तंत्र की आवश्यकता है क्योंकि दोनों देश शांतकाल से संकट की ओर त्वरित संक्रमण कर सकने में सक्षम हैं।
 - इसके अलावा पूर्व-अधिसूचना व्यवस्था में क़ूज मसिाइलों को भी शामिल करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में ये दोनों देशों के शस्त्रागार की अभिन्न अंग हैं।
- **NRRCs जैसे तंत्र की स्थापना:** भारत और पाकस्तान को शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्थापित 'परमाणु जोखिम न्यूनीकरण केंद्र' (Nuclear Risk Reduction Centres- NRRCs) जैसा तंत्र स्थापित करने पर विचार करना चाहिये।
 - NRRCs का प्राथमिक उद्देश्य संदेशों के समय पर संचार हेतु एक संरचित तंत्र स्थापित करना है और पहले से समर्थित CBMs के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर जोखिम में कमी लाना है।
 - ऐसा तंत्र '**स्थायी संधि आयोग**' (Permanent Indus Commission) की तरह कार्य कर सकता है जिसने संधि जल संधि से उत्पन्न कई विवादों का समाधान प्रस्तुत किया है।
- **सूचना स्पष्टीकरण केंद्र:** रणनीतिक क्षेत्र में कुछ गलत धारणाओं और असपष्टताओं को समाधान या स्पष्टीकरण हेतु जोखिम न्यूनीकरण केंद्रों (Risk Reduction Centres For Resolution Or Clarification) द्वारा सुलझाया जा सकता है।
 - ऐसा एक नकिया अन्य बातों के साथ-साथ नयिमति रूप से संदेशों का आदान-प्रदान कर सकता है, समय पर स्पष्टीकरण प्रदान कर सकता है और समझौतों के अनुपालन की समीक्षा कर सकता है।
 - सोशल मीडिया और 24-आर न्यूज के युग में ईमानदार गलतियाँ या अप्रत्याशित दुर्घटनाएँ विशेष रूप से समय पर स्पष्टीकरण के अभाव में सैन्य गतरौध में तब्दील हो सकती हैं।
- **एक उत्तरदायी परमाणु शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखना:** एक उत्तरदायी परमाणु शक्ति होने की भारत की वैश्विक छव दिशकों के संयमति शब्दों और विचारशील कार्रवाई से निर्मित हुई है। हाल की घटना ने इस प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाया है।
 - भारत को वर्ष 2016 में मसिाइल प्रौद्योगिकी नयित्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime) का सदस्य बनाया गया जो एक विश्वसनीय रक्षा भागीदार के रूप में भारत की स्थिति की प्रमुख शक्तियों द्वारा स्वीकृति है और इस बात की पुष्टि करता है कि भारत अपनी शक्तियों के प्रबंधन एवं वैश्विक सुरक्षा में योगदान करने में सक्षम है।
 - भारत और अधिक मसिाइल प्रणालियों का विकास कर रहा है जिसमें हाइपरसोनिक संस्करण भी शामिल है। दुर्घटनाओं से बचने के लिये ऐसी किसी भी मसिाइल का संचालन और प्रकषेपण नयित्रण एवं संतुलन के साथ अत्यधिक वनियमति होता है।
 - भारत को परमाणु और अन्य सैन्य संपत्तियों को संभालने की अपनी क्षमता के बारे में किसी भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिये। भारत के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय का विश्वास बहाल करने के लिये कड़े कदम उठाए जाने चाहिये।

अभ्यास प्रश्न: "हाल ही में मसिाइल मसिफायरिंग की घटना ने भारत में उच्च-प्रौद्योगिकी हथियार प्रणालियों के रख-रखाव और संचालन के मानकों पर एक संदेह उत्पन्न किया है। इससे भी अधिक उल्लेखनीय यह है कि इस घटना ने दो परमाणु-संपन्न शत्रु देशों के बीच संकट प्रबंधन हेतु द्वपिकषीय तंत्र की कमज़ोर स्थिति को उजागर किया है" टपिणी कीजिये।

